



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273719
CG-DL-E-22062026-273719

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3169]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3169]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 जून, 2026

का.आ. 3298(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 1) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्रॉस रिसेड स्क्रू (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे कार्यों के अधिक्रमण से पहले किये गए अथवा जिन्हे किये जाने से छोड़ दिया गया, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

- संक्षिप्त शीर्षक और लागू होना** - (1) इस आदेश को क्रॉस रिसेड स्क्रू (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 कहा जाएगा।
(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की निर्दिष्ट तारीख से लागू होगा।
- क्रॉस रिसेड स्क्रू (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 में क्रम संख्या 12, 13 और 14 पर भारतीय मानक और भारतीय मानक का शीर्षक का प्रवर्तन और उनसे संबंधित प्रविष्टियां राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं होंगी।

[फा. सं. एस-20011/33/2025-तकनीकी]

अभिजीत नरेन्द्र, संयुक्त सचिव

नोट: क्रॉस रिसेस्ड स्क्रू (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II-खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) का.आ. 3927 (अ), दिनांक 27 अगस्त, 2025 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF STEEL

ORDER

New Delhi, the 20th June, 2026

S.O. 3298(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Cross Recessed Screws (Quality Control) Order, 2025, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in public interest, hereby makes the following order, namely:—

1. **Short title and commencement.** - (1) This order may be called the Cross Recessed Screws (Quality Control) Amendment Order, 2026.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Cross Recessed Screws (Quality Control) Order, 2025, enforcement of IS Number and IS Title at serial numbers 12,13 and 14 and the entries relating thereto shall not be operative for a period of 3 years from date of publication in the gazette.

[F. No. S-20011/33/2025-TECH]

ABHIJIT NARENDRA, Jt. Secy.

Note: The Cross Recessed Screws (Quality Control) Order, 2025 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 3927 (E) dated the 27th August, 2025.